पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

पटना कारपोरेशन

निगम पर्षद की छठी(6वीं) साधारण बैठक की कार्यवाही:-

दिनांक :- 30.07.2024

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- होटल, लेमन ट्री प्रीमीयर, एक्जीबिशन रोड, पटना।

अनिमेष कुमार पराशर,भा.प्र.से.	रेशमी कुमारी	सीता साहू
नगर आयुक्त	उप महापौर	महापौर
पटना नगर निगम	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम

दिनांक-30.07.2024 को आहूत निगम पर्षद की छठीं(6वीं) साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नांकित माननीया/माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. श्रीमती सीता साहू - महापौर, पटना नगर निगम।
2. श्रीमती रेशमी कुमारी - उप महापौर, पटना नगर निगम।
3. श्रीमती श्वेता राय - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. श्रीमती कीर्ति देवी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्रीमती कावेरी सिंह - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
6. श्री आशीष कुमार सिन्हा - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
8. श्री मनोज कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
9. श्री बिनोद कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
10. श्रीमती छठिया देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-01
11. श्रीमती बबीता देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-02
12. श्रीमती प्रभा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-03
13. श्रीमती उषा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-04
14. श्रीमती दीपा रानी खान - पार्षद, वार्ड संख्या-05
15. श्रीमती धनराज देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-06
16. श्री अमर कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-07
17. श्रीमती रीता रानी - पार्षद, वार्ड संख्या-08
18. श्री आशीष कु0 शंकर - पार्षद, वार्ड संख्या-09
19. श्रीमती गीता देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-10
20. श्री रवि प्रकाश - पार्षद, वार्ड संख्या-11
21. श्रीमती सविता सिन्हा - पार्षद, वार्ड संख्या-12
22. श्री जीत कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-13
23. श्री शशि भूषण - पार्षद, वार्ड संख्या-15
24. श्री जय प्रकाश सिंह - पार्षद, वार्ड संख्या-16
25. श्रीमती सोनी देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-17

महापौर

28. श्रीमती श्वेता रंजन - पार्षद, वार्ड संख्या-21
29. श्रीमती अनिता देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-22
30. श्रीमती सुशीला कुमारी - पार्षद, वार्ड संख्या-22(ए)
31. श्रीमती सुचित्रा सिंह - पार्षद, वार्ड संख्या-22(बी)
32. श्रीमती अनिता देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-22(सी)
33. श्रीमती कुमारी सारिका - पार्षद, वार्ड संख्या-23
34. श्रीमती ज्ञानवती देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-24
35. श्री रजनीकान्त - पार्षद, वार्ड संख्या-25
36. श्रीमती रानी कुमारी - पार्षद, वार्ड संख्या-27
37. श्री विनय कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-28
38. श्रीमती राधा शर्मा - पार्षद, वार्ड संख्या-31
39. श्रीमती पिंकी यादव - पार्षद, वार्ड संख्या-32
40. श्री कुमार संजीत - पार्षद, वार्ड संख्या-34
41. श्री राजकुमार गुप्ता - पार्षद, वार्ड संख्या-35
42. श्री संजीव आनन्द - पार्षद, वार्ड संख्या-37
43. श्री राहुल यादव - पार्षद, वार्ड संख्या-39
44. श्री असफर अहमद - पार्षद, वार्ड संख्या-40
45. श्रीमती किरण देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-41
46. श्री कैलाश प्र0 यादव - पार्षद, वार्ड संख्या-42
47. श्रीमती रजनी सिन्हा - पार्षद, वार्ड संख्या-43
48. श्री आशीष चन्द्र यादव - पार्षद, वार्ड संख्या-44
49. श्रीमती प्रभा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-45
50. श्री सतीश कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-47
51. श्रीमती सीमा वर्मा - पार्षद, वार्ड संख्या-49
52. श्रीमती आरजू - पार्षद, वार्ड संख्या-50
53. श्री ज्योति रंजन दास - पार्षद, वार्ड संख्या-51
54. श्रीमती किरण मेहता - पार्षद, वार्ड संख्या-53
55. श्री विनय कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-54
56. श्री कंचन कुमार - पार्षद, वार्ड संख्या-55
57. श्रीमती गायत्री गुप्ता - पार्षद, वार्ड संख्या-57
58. श्रीमती श्वेता कुमारी - पार्षद, वार्ड संख्या-58
59. श्रीमती नीलम कुमारी - पार्षद, वार्ड संख्या-59
60. श्रीमती शोभा देवी - पार्षद, वार्ड संख्या-60

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

61. श्रीमती उषा देवी – पार्षद, वार्ड संख्या-61
62. श्रीमती तारा देवी – पार्षद, वार्ड संख्या-62
63. श्री फैजुर रहमान खान – पार्षद, वार्ड संख्या-63
64. श्रीमती आबदा कुरैशी – पार्षद, वार्ड संख्या-64
65. श्रीमती तरूणा राय – पार्षद, वार्ड संख्या-65
66. श्रीमती कान्ति देवी – पार्षद, वार्ड संख्या-66
67. श्रीमती सुनिता देवी – पार्षद, वार्ड संख्या-68
68. श्री मनोज मेहता – पार्षद, वार्ड संख्या-69
69. श्रीमती अंजली राय – पार्षद, वार्ड संख्या-71
70. श्रीमती संध्या यादव – पार्षद, वार्ड संख्या-72

निगम प्रशासन

01. श्री अनिमेष कुमार पराशर (भा.प्र.से.) -नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
02. श्री राजन सिन्हा (बि.पु.से.) - अपर नगर आयुक्त
03. श्री रामाशीष शरण तिवारी - उप-नगर आयुक्त, सह- नगर सचिव
04. श्री प्रदीप कुमार राय - उप-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
05. श्री कन्हैया कुमार - उप-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
06. श्री ज्यांत प्रकाश - उप-नगर आयुक्त, स्थापना
07. श्री प्रभात रंजन -कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल
08. श्रीमती पुण्य तरू - कार्यपालक पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल
09. श्री गंगाकान्त ठाकुर - कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल
10. श्री निखिल कुमार - कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल
11. श्री आशुतोष कु0 सिंह - कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल
12. सुश्री श्रेया कश्यप - कार्यपालक पदाधिकारी, अजिमाबाद अंचल
13. श्री सुरेन्द्र कु0 सिन्हा - मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम
14. श्री विजय कुमार - कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय
15. श्री सुभाष चन्द्र हर्ष - कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग प्रमंडल
16. श्री बब्लु कु0 गुप्ता - कार्यपालक अभियंता, विद्युत
17. श्री अनिल कुमार - कार्यपालक अभियंता, बाँकीपुर/अजिमाबाद प्रमंडल
18. श्री अजीत कुमार - सी0ए0 टीम -
19. श्री अवधेश कु0 सिंह - निजी सहायक
20. श्री विलास मांझी - निजी सहायक

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष : बैठक में उपस्थित उप-महापौर/सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण, सभी पार्षद, नगर आयुक्त/ सभी पदाधिकारीगण एवं मीडिया कर्मियों का आज की बैठक में हार्दिक अभिनंदन है। बैठक की कार्रवाई शुरू करें।

नगर आयुक्त : निगम पर्षद की छठीं साधारण बैठक में माननीया महापौर महोदया, उप-महापौर, सदस्य, सशक्त स्थायी समिति एवं सभी पार्षदों का स्वागत है। नगर सचिव, बैठक के एजेंडा को पढ़ें।

मद संख्या- 01 :- दिनांक-09.02.2024 को आहूत निगम पर्षद की पाँचवीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि के संबंध में।

नगर सचिव :- दिनांक-09.02.2024 को आहूत निगम पर्षद की पाँचवीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि का प्रस्ताव है।

श्री कैलाश प्र० यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-09.02.2024 को आहूत निगम पर्षद की पाँचवीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती रीता रानी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-09.02.2024 को आहूत निगम पर्षद की पाँचवीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 70:- **सर्वसम्मति से दिनांक-09.02.2024 को आहूत निगम पर्षद की पाँचवीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।**

मद संख्या- 02 :- दिनांक-04.03.2024 को आहूत निगम पर्षद की द्वितीय विशेष बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टि के संबंध में।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-04.03.2024 को आहूत निगम पर्षद की द्वितीय विशेष बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 71:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-04.03.2024 को आहूत निगम पर्षद की द्वितीय विशेष बैठक की कार्यवाही को निगम पर्षद द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

श्री जीत कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आज की बैठक में मैं दिनांक-23.07.2024 को बिहार विधान मंडल में पारित नगरपालिका संशोधन विधेयक के विरूद्ध निंदा का प्रस्ताव रखता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि सभी माननीया/माननीय पार्षदगण इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। आप सभी लोग वाकिफ हैं कि किस प्रकार इस संशोधन के द्वारा नगरपालिका से कई प्रकार की शक्तियाँ छीन ली गई हैं।

सदन में उपस्थित सभी पार्षदगण :- माननीया सदस्य के द्वारा नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 के विरूद्ध लाये गये निंदा प्रस्ताव का समर्थन करते है।

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद श्री जीत कुमार, वार्ड संख्या-13 द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 में पिछले कुछ वर्षो में कई बार संशोधन कर निगम को पँगु बनाने का कार्य किया गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष महोदय, हमलोग बिहार सरकार के इस विधेयक को रद्द करने हेतु एकजूट है, और जरूरत पड़ेगा तो न्यायालय का भी शरण लेंगे।

उक्त विधेयक के विरूद्ध हम सभी पार्षद सरकार के निर्णय का भर्त्सना एवं निंदा करते है। माननीया महापौर महोदया, उप-महापौर से भी आग्रह है कि वे भी पार्षदों के समर्थन में इस विधेयक का विरोध करें और निंदा प्रस्ताव का समर्थन करें। जिस प्रकार एम0पी0, प्रधान मंत्री को अपना नेता चुनते है, विधायक मुख्यमंत्री को अपना नेता चुनते है उसी तरह पार्षदों को अपना नेता चुनने का पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने पार्षदों से मुख्य पार्षद एवं उप-मुख्य पार्षद चुनने का अधिकार भी छिन लिया है। मेरा आग्रह होगा कि पूर्व की तरह मुख्य पार्षद एवं मुख्य उप पार्षद का चुनाव पार्षदों के द्वारा होना चाहिए। दिनांक-29.07.2024 को आपके द्वारा सभी माननीय पार्षदों का बैठक बुलाया गया था। जिसमें मुझे नहीं बुलाया गया। यह खेद का विषय है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी:- माननीया अध्यक्ष महोदया, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं माननीय सदस्य श्री आशीष कु0 सिन्हा जी को माननीय सदस्य श्री जीत कुमार द्वारा नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2024 के निंदा प्रस्ताव के पर अपनी बात रखने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष :- माननीया सदस्य सशक्त स्थायी समिति श्री आशीष कु0 सिन्हा माननीय सदस्य श्री जीत कुमार जी के निन्दा प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए अधिकृत करती हूँ।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, एजेंडा पर चर्चा करने के पूर्व हम सभी लोग दिनांक-23 जुलाई, 2024 को बिहार विधान सभा में जो नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 लाया गया एवं उसके उपरांत उसे बिहार विधानमंडल से पारित कराया गया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री जीत कुमार के द्वारा इस विधेयक के खिलाफ जो निंदा का प्रस्ताव लाया गया है, हम सभी उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

माननीया अध्यक्ष महोदया, यह पहली दफा नहीं है कि इस प्रकार का संशोधन विधेयक लाकर नगरपालिका की शक्ति को छीना गया है।

मेरा मानना है कि जिस दिन से बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 अस्तित्व में आया, उसके बाद से ही किसी न किसी रूप में नगरपालिका को प्राप्त शक्तियों पर प्रहार शुरू कर दिया गया। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी संरचनाओं, नागरिक

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

सुविधाओं को उपलब्ध कराने के नाम पर विभागीय संकल्प संख्या-2563, दिनांक-21.05.2008 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक तकनीकी कोषांग का गठन राज्य के सभी नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अन्तर्गत जिला संचालन समिति द्वारा चयनित योजनाओं को कार्यान्वित कराने हेतु किया गया। वहीं पुनः नगर निकायों के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं रहने एवं बुनियादी सुविधाओं में विस्तार करने के नाम पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने संकल्प संख्या 428, दिनांक-17.02.2009 के द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कर दी। इसके तहत उसे भवन, पथ, पार्क, गलियाँ, पुल, परिवहन संरचनाएँ, पेयजल, सेनिटेशन सिवरेज सिस्टम, विद्युतीकरण कार्य, स्वास्थ्य संबंधी संरचनाएँ, पर्यावरण संबंधी कार्य सौंपा गया।

जबकि संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा संविधान के 12वीं अनुसूची में जो अठारह कार्य नगरपालिका को सौंपा गया है उसमें उपरोक्त सभी कार्य सम्मिलित है। जैसे-

1. नगरीय योजना जिसके अन्तर्गत नगर योजना भी है।
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।
3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।
4. सड़कें और पुल।
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध।
7. अग्निशमन सेवाएँ।
8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।
9. समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी है, हितों की रक्षा।
10. गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।
11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।
12. नगरीय सुख सुविधाओं जैसे- पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।
14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह।
15. कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
16. जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है।

महापौर
पटना नगर निगम

17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएँ, जिनके अन्तर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जनसुविधाएँ भी है।

18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-5/न0 विविध 1बी-4बी/ 08- 5939/ न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक-10.12.08 के अनुसार टास्क फोर्स की बैठक दिनांक-22.09.08 में पटना नगर निगम द्वारा संचालित सम्प हाउसों की मरम्मति एवं रख-रखाव की स्थिति संतोषप्रद नहीं बतायी गयी एवं निर्देश दिया गया कि इन सम्पों को बिहार राज्य जल पर्षद को हस्तान्तरित करने हेतु पटना नगर निगम से अनुरोध किया जाय। इस वक्त पटना नगर निगम द्वारा कुल नौ सम्प संचालित किया जाता था।

उक्त निर्देश के आलोक में पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के मद संख्या-03/09, दिनांक-13.01.09 प्रस्ताव संख्या-370 के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के द्वारा संचालित सम्प हाउसों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु बिहार राज्य जल पर्षद को हस्तान्तरण के प्रस्ताव को पारित करते हुए निगम को अनुशंसित किया जाता है।

इसके बाद निगम पर्षद के द्वारा भी उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी जाती है।

आज यही कारण है कि सम्प हाउसों का संचालन एवं रख-रखाव बुडको द्वारा किया जा रहा है। ज्ञात हो कि बिहार राज्य जल पर्षद का वर्ष 2018 में ही बुडको में विलय कर दिया गया है।

उसके बाद बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम,2011 के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा-36 में संशोधन किया गया जो इस प्रकार है –

उक्त अधिनियम की धारा-36 की उपधारा (1)खण्ड (ख) के उपखण्ड (vi) के बाद निम्नांकित परन्तुक तीसरे परन्तुक के बाद जोड़ा जायेगा-

" परन्तुक और भी कि राज्य सरकार नगर निकायों को आदेश देकर पदों की संख्या घटा, बढ़ा, पदों की संरचना में परिवर्तन, पद या पदों के समापन, नये संवर्गों के सृजन एवं समापन, नये संवर्गों की स्थापना या पुनर्गठन कर सकेगी या इससे संबंधित अन्य निदेश दे सकेगी जो शहरी स्थानीय निकायों पर बाध्यकारी होगा।"

उक्त संशोधन के आलोक में सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग संकल्प संख्या-05 न0/विविध-24/2014-2503/न0वि0एवं आ0वि0, दिनांक-03.05.2018 के द्वारा नगरपालिका में ग्रुप डी के पद को समाप्त कर दिया।

एक बार पुनः बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम,2013 के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-36 एवं धारा-40 में संशोधन किया गया जो इस प्रकार है –

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

बिहार अधिनियम,11, 2007 की धारा-36 का संशोधन- उक्त अधिनियम की धारा-36 की उपधारा (4) के बाद एक नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, यथा-

''धारा-36 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया वांछित योग्यता, सेवा शर्त, आचरण, अनुशासन एवं नियंत्रण सहित वही होंगे जो नियमावली के द्वारा निर्धारित किया जाय।''

बिहार अधिनियम,11,2007 की धारा-40 का संशोधन-उक्त अधिनियम की धारा-40 के बाद एक नयी धारा 40(अ) जोड़ी जायेगी।

यथा-''राज्य सरकार नियमावली बनाकर नगरपालिका सेवा एवं नगरपालिका कार्मिक प्रबंधक के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवाशर्त, पदस्थापन, स्थानान्तरण, प्रोन्नति, अनुशासनिक कारंवाई एवं अन्य संबंधित विषयों से संबंधित प्रावधान कर सकेगी।''

उपरोक्त संशोधन के बाद भी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका का पूर्ण रूप से कमर तोड़ने के लिए एक और संशोधन बिहार नगरपालिका(संशोधन) अधिनियम,2021 लाया गया, जिसे मैं आप सबों के समक्ष रखना चाहूँगा जो निम्न है:

बिहार अधिनियम,11,2007 की धारा-36 का संशोधन-(i) उक्त अधिनियम की धारा-36 की उपधारा(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-

''36(2) की उपधारा(1) में उल्लेखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-36 की उपधारा(3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-

'' 36 (3) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों एवं नगरपालिकाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, अपेक्षित अर्हता आचरण एवं अनुशासन, नियंत्रण एवं अन्य सेवा की शर्तें वही होगी, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे।''

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-36 की उपधारा(4),(5),(6),(7),(8) एवं (9) विलोपित किया जायेगा।

बिहार अधिनियम,11,2007 की धारा-37 का संशोधन-(i) उक्त अधिनियम की धारा-37 की उपधारा (4),(5),(6),(7),(8),(9) एवं (10) विलोपित किया जायेगा।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 38 का संशोधन -

(1) उक्त अधिनियम की धारा 38 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :- '' 38, नियुक्ति पदाधिकारी- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यधीन नगरपालिका स्थापना के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकार :-

(क) कोटि ''क'' एवं कोटि '' ख'' के पदों के मामले में सरकार एवं

(ख) कोटि ग के पदों के मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगरपालिका प्रशासन निदेशालय होगा तथा संवर्ग राज्यस्तरीय होगा।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 41 का संशोधन - उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रथम परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

'' परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से हटाया जा सकेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा - 41 के द्वितीय परन्तुक को विलोपित किया जाएगा।

उक्त संशोधनों के द्वारा नगरपालिका के आस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। पहले नगरपालिका में ग्रुप-डी के पद को समाप्त किया गया और उसके बाद कोटि ''ग'' के मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन ''नगरपालिका प्रशासन निदेशालय बनाया गया एवं संवर्ग को राज्य स्तरीय किया गया। वहीं धारा 41 में संशोधन कर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों पर नगरपालिका द्वारा कार्रवाई करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया।

इस प्रकार नगरपालिका से नियुक्ति,स्थानान्तरण एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार छीन लिया गया ।

परन्तु माननीया महापौर श्रीमती सीता साहू ने इस संशोधन को चुनौती देने का फैसला लिया। उनके निदेश पर मैं और मेरे 21 अन्य सहयोगी माननीया/माननीय पार्षदों के द्वारा उक्त संशोधन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका दाखिल किया गया।

याचिका पर 01 वर्ष से अधिक समय तक सुनवाई हुई और अंततः दिनांक 21/10/2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और नगरपालिका संशोधन (अधिनियम),2021 को रद कर नगरपालिका के स्वायत्ता को बहाल किया ।

इस निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार ने ''माननीय सर्वोच्च न्यायालय'' नई दिल्ली में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय मिलेगा और नगरपालिका की जीत होगी।

अभी पुराने जख्म सूखे भी नहीं थे कि सरकार ने एक और बिहार नगरपालिका '' संशोधन'' विधेयक, 2024 बिहार विधानमंडल से पारित कराकर नगरपालिका के स्वायत्ता पर हमला किया है। इस विधेयक की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और इस काला अधिनियम को हर हाल में समाप्त करने का भी संकल्प लेते हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम- 2007 के प्रदत्त होने के बाद से ही नगरपालिका की शक्तियों को कम करने एवं समाप्त करने का प्रयास विभिन्न संकल्पों एवं संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

शुरु की गयी थी उसी वक्त इसके खिलाफ हमारे जन प्रतिनिधियों को आवाज बुलंद करने की जरुरत थी, खैर मैं उस विवाद में जाना नहीं जाना चाहता और वर्तमान में जो नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2024 लाकर नगरपालिका की शक्तियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है,

उसके संबंध में सदन के समक्ष बातें रखना चाहता हूँ। ऐसे तो कई धाराओं में संशोधन किया गया है परन्तु जिन संशोधनों से नगरपालिका को कमजोर करने का साहस किया गया, उस पर ही अपनी बात रखूँगा।

जैसे- बिहार अधिनियम,11,2007 की धारा-27(आ) का संशोधन-(i) उक्त अधिनियम की धारा-27(आ) की उपधारा(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-

"(2) इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के द्वारा निर्धारित प्रशासन चलाने के लिए नगरपालिका के कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी में निहित होंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 27 आ की उपधारा (7) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-

(7) किसी कारण से मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियमावली के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नगरपालिका के उस पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा जिसे इस हेतु मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा नामित किया जाय।

पूर्व में 27(आ) (2)में अंकित था कि- मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण के अध्यधीन इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियमावली या उपविधि के द्वारा निर्धारित प्रशासन चलाने के लिए नगरपालिका के कार्यपालक कृत्य मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी में निहित होंगे।

वहीं 27(आ) (7) में उल्लेखित था कि- किसी कारण से मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियमावली के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नगरपालिका के उस पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा, जिसे इस हेतु मुख्य पार्षद के द्वारा नामित किया जाय।

यानि संशोधन के माध्यम से मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण शब्द को हटाकर पूर्ण रूप से नगरपालिका का प्रशासन पदाधिकारियों के हाथों में सौंप दिया गया। वहीं मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में किसी अन्य पदाधिकारी को कार्य करने हेतु मुख्य पार्षद द्वारा नामित करने की शक्ति को भी समाप्त कर दिया गया।

बिहार अधिनियम,11, 2007 की धारा-52 का संशोधन--(i) उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उपधारा (5) जोड़ा जायेगा-

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

"(5) नगरपालिका की किसी बैठक में राज्य सरकार के किसी नियम/निर्देश के विरूद्ध अथवा उससे असंगत प्रस्ताव पर अनुमोदन/विचार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव पर मुख्य पार्षद अथवा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव नगरपालिका के किसी बैठक में लाया जाता है तो इसे मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा विचार हेतु राज्य सरकार को भेजा जायेगा और इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्यक्ष महोदया, धारा-52 में संशोधन कर उपधारा (5) जोड़ा गया। यह घोर आपत्तिजनक है। यह नगरपालिका के अस्तित्व को चुनौती देने वाला है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

बिहार अधिनियम,11, 2007 की धारा-55 का संशोधन--(i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-

(1) "नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में केवल सदस्यों की ही भागीदारी होगी।"

मानीया अध्यक्ष महोदया, पूर्व में बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा-55 में अंकित था कि-

बैठक सर्वसाधारण के लिए साधारणत: खुली रहेगी-

(1) नगरपालिका की प्रत्येक बैठक साधारणत: जनसाधारण के लिए खुली रहेगी, जब तक कि बैठक में उपस्थित अधिकांश पार्षद प्रस्ताव द्वारा, जो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे किसी पार्षद के अनुरोध पर पेश किया जायेगा, यह विनिश्चय न करे कि नगरपालिका के समक्ष लंबित कोई जाँच या विचार-विमर्श गुप्त रूप से किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदया, अब इस संशोधन से नगरपालिका की कार्रवाई देखने से आमजन वंचित हो जायेंगे। जो शर्मनाक है।

बिहार अधिनियम,11, 2007 की धारा-60 का संशोधन -

(1) उक्त अधिनियम की धारा-60 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

" परन्तु यह कि नगरपालिका तथा नगरपालिका समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत बैठक के आयोजन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से निर्गत किया जायेगा। बैठक का कार्यवृत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा जो इस पर सदस्य सचिव के रूप में अपना हस्ताक्षर करेंगे और इसे मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्षद को हस्ताक्षर हेतु भेजा जायेगा और मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्षद के हस्ताक्षर के उपरान्त बैठक का कार्यवृत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदया, जबकि पूर्व में धारा-60 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान थे :

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION महापौर कार्यालय

महापौर
पटना नगर निगम

कार्यवृत और कार्यवाहियों का संधारण :- नगरपालिका तथा नगरपालिका समिति को प्रत्येक बैठक जिसमें उपस्थित पार्षदों के नाम अभिलिखित किये गये हो, का कार्यवृत और उसकी कार्यवाही तैयार की जायेगी तथा पंजी में दर्ज कर इस प्रयोजनार्थ इसे रखा जायेगा और यथा स्थिति नगरपालिका या ऐसे समिति की अगली बैठक में इसे प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसपर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदया, उपरोक्त संशोधन से स्पष्ट है कि अब नगरपालिका तथा नगरपालिका समिति की बैठक का कार्यवृत (एजेंडा) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा तथा कार्यवाही (प्रोसेडिंग) पर भी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।

उक्त संशोधन के बाद बचता क्या है? राज्य सरकार के निर्देश पर उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी कार्यवृत (एजेंडा) तैयार करेंगे और कार्यवाही (प्रोसेडिंग) उनके मनमर्जी के हिसाब से तैयार होगा। यह आपत्तिजनक है।

बिहार अधिनियम,11,2007 की धारा-80 का संशोधन :-

(i) उक्त अधिनियम की धारा-80 में आये शब्द ''विनियम'' को शब्द नियम/विनियम से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

माननीया अध्यक्ष महोदया, उक्त संशोधन के द्वारा राज्य सरकार नगरपालिका निधि में हस्तक्षेप करना चाहती है। राज्य सरकार नियम बनाकर नगरपालिका निधि का उपयोग अपने मनमर्जी के हिसाब से करना चाहती है जो सीधा नगरपालिका की वित्तीय स्वायत्तता पर हमला है।

बिहार अधिनियम,11,2007 की धारा 143 का संशोधन:-

उक्त अधिनियम की धारा-143 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''143 अपील-(1) अपनी आपत्ति पर पारित आदेश से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा नगर निगम के मामले में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं नगर परिषद तथा नगर पंचायत के मामले में संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ अपील की जा सकेगी। जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसी अपील धारा-142 के अन्तर्गत आदेश पारित होने के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। अपील के साथ आपत्ति पंजी एवं पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न रहेगी एवं इसका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित रीति से किया जायेगा।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

(3) इस धारा के अन्तर्गत सभी अपील पर भारतीय परिमितता अधिनियम,1908 के भाग-ii के प्रावधान लागू होंगे।

(4) धारा-142 के अन्तर्गत प्रथम बार जिन आपत्तियों का निर्धारण नहीं हुआ हो उन पर अपील स्वीकार नहीं होगी।

(5) प्रमंडलीय आयुक्त या जिलाधिकारी के निर्णय को मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा लागू किया जायेगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लंबित रहने पर कर निर्धारण या देय होल्डिंग करों अथवा उनकी किस्तों की वसूली पर रोक नहीं रहेगी। किन्तु अपील के अधीन कर निर्धारण पर ऐसा निर्धारण होता है कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना था या ऐसे कर अथवा उसकी किस्त की वसूली नहीं की जानी थी, तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ऐसा व्यक्ति को ऐसे वसूले गये कर अथवा अधिक वसूले गये अंश की वापसी पारित अंतिम निर्णय के आलोक में की जायेगी। अथवा भविष्य में उद्भूत होने वाले मांग के विरूद्ध उसका समायोजन किया जा सकेगा।

उक्त संशोधन के पूर्व बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा-143 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान थे-

जिला न्यायाधीश के यहाँ अपील-: अपनी आपत्ति पर पारित आदेश से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा जिला न्यायाधीश के यहाँ अपील की जा सकेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

अध्यक्ष महोदया, उपरोक्त संशोधन के द्वारा राज्य सरकार ने न्यायपालिका के कार्यों को भी अपने हाथों में लेने का काम किया है जो घोर आपत्तिजनक है।

बिहार अधिनियम,11,2007 की धारा-221 का संशोधन-

(i) उक्त अधिनियम की धारा-221 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''221 ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन का सौंपा जाना तथा प्रभार का बिल तैयार करना और उनका संग्रहण-इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के प्रयोजनार्थ तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबद्ध बुनियादी सुविधा यदि कोई हो, के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित नियम/विनियम के अनुसार प्रभार उद्गृहित किया जायेगा और उसका

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

भुगतान ऐसी दर पर किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार या नगरपालिका समय-समय पर नियत करें, परन्तु इस संबंध में किसी भी कार्य हेतु यदि राज्य सरकार द्वारा पूर्व से कोई दर निर्धारित किया गया हो, तो वही लागू होगा।

परन्तु यह कि यथा पूर्वोक्त प्रभार यथासाध्य ऐसा होगा जिससे कि इसमें नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन तथा उसके संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव हेतु बुनियादी सुविधाओं, यदि हो, मद में लागत तथा ऋण शोधन कार्य की लागत, संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य ह्रास और अन्य प्रभार, यदि हो, सम्मिलित हो,

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन से ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव संबंधी और संचालन और पूर्वोक्त बिल की तैयारी और उसके संग्रहण संबंधी कार्य तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण को अथवा किसी अन्य अभिकरण को सौंप सकेगा।''

परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी भी नगरपालिका के लिए विकेन्द्रीकृत रूप से या नगरपालिका के समूह/कलस्टर का गठन करके केन्द्रीकृत रूप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान का निर्णय ले सकती है, जिसमें एजेंसी के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार या किसी नगरपालिका द्वारा की जा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।

अध्यक्ष महोदया, उक्त संशोधन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण और निपटाव से संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रभार उद्गृहित किया जायेगा साथ ही उक्त कार्यों के लिए एजेंसी चयन का भी काम राज्य सरकार करेगी।

इससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार नगरपालिका से उसके मूल दायित्वों एवं कर्त्तव्यों को पूर्ण रूप से छिनना चाहती है। जबकि संविधान के 12वें अनुसूची के अन्तर्गत क्रम सं0-06 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा-45(1) (क) (iii) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य नगरपालिका को सौंपा गया है। सरकार

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

के द्वारा लाये गये इस संशोधन की जितनी निंदा की जाय वो कम है। सरकार को हर कीमत पर इस संशोधन को वापस लेना होगा।

अध्यक्ष महोदया, यहाँ उपस्थित कुछ सदस्यों ने जानना चाहा है कि इस संशोधन को लेकर माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग से कोई बातचीत हुई है कि नहीं। मै सभी माननीया/माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इस संशोधन के आने के बाद मैं और मेरे सहयोगी मित्र श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी , सदस्य-सशक्त स्थायी समिति, दोनों लोग माननीया महापौर महोदया के निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय से मिलकर इस संशोधन के विरूद्ध अपनी नाराजगी जाहिर की। माननीय मंत्री महोदय ने इस संशोधन के द्वारा नगरपालिका की जो भी शक्ति छीनी गई है, उसे वापस करने पर हामी भरी एवं सहमति जताई तथा अगले दिन नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारियों के साथ हमलोगों का बैठक तय किया। हमलोगों ने नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारियों को अपनी आपत्ति से अवगत कराया। तत्पश्चात माननीय मंत्री महोदय ने पुनः अपने कक्ष में अपनी उपस्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव महोदय से वार्त्ता कराया। इस वार्त्ता में मेरे साथ श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी, श्री मनोज कुमार उर्फ मुन्ना जायसवाल एवं बिनोद कुमार, (सभी सशक्त स्थायी समिति के सदस्य) भी मौजूद थे। एक-एक बिन्दु पर वार्त्ता हुई तत्पश्चात माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव ने आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर नगरपालिका की शक्तियों को कम नहीं किया जायेगा।

हमने माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव महोदय को पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये संकल्प की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया तथा इस संकल्प के कंडिका 2.3 (संचालन समिति) एवं कंडिका 2.5.1. पर चर्चा की। संचालन समिति में नगरपालिका के किसी जनप्रतिनिधि के शामिल नहीं होने की बात कही। इस पर माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि इस संकल्प के द्वारा पुराने व्यवस्था को पुर्नस्थापित किया गया है। फिर भी विभाग आपके बातों को ध्यान में रखकर इस पर विचार करेगा। कंडिका 2.5.1. के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में उपलब्ध होने वाले राशि के खर्च के विषय में भी चर्चा की और 15वें तथा छठे वित्त आयोग की राशि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपयोग करने पर आपत्ति व्यक्त की।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

(हस्ताक्षर)
महापौर
पटना नगर निगम

नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-3488, दिनांक-30.11. 2021 के द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के व्यय हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई है। उक्त मार्गदर्शिका के कंडिका-3 में सामान्य निधि की चर्चा की गई है तथा इसी कंडिका 3(V) में वर्णित सामान्य निधि की 3.1 प्रतिशत राशि की एकमुश्त निकासी कर बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

वहीं 15वें वित्त आयोग के तहत नगरपालिकाओं को मिलने वाले राशि के संबंध में भी नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ज्ञापांक-1870, दिनांक-29.05.2020 के द्वारा संकल्प जारी किया गया है। उसके अनुसार मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों को प्राप्त होने वाली राशि का 50 प्रतिशत परिवेशी वायु गुणवत्ता पर खर्च करना है तथा 50 प्रतिशत राशि सेवा स्तरीय मानदंड पर व्यय करना है। सेवा स्तरीय मानदंड हेतु कर्णांकित राशि का 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना एवं शेष 70 प्रतिशत राशि का व्यय जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के घटकों पर करना है।

हमलोगों ने माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव महोदया से कहा कि स्थानीय निकायों को केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में मिलने वाली राशि को अन्यत्र राज्य द्वारा नहीं खर्च किया जाय। माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि नगर निकायों को मिलने वाली राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा नहीं की जायेगी।

मैंने माननीय मंत्री महोदय एवं प्रधान सचिव महोदय से हुई बातों को आपके सामने अक्षरशः रखने का काम किया हूँ। मेरा मानना है कि उक्त बातों के आलोक में हम सब अपना आन्दोलन, संघर्ष कम नहीं करेंगे यह संघर्ष नगरपालिका के अधिकार के लिए है। इसके लिए सड़क से लेकर न्यायालय तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जिस दिन नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 आया उस दिन से हमलोगों ने माननीया महापौर के निदेश पर कानूनी लड़ाई की भी तैयारी कर ली है। आज इस सदन से यही अपेक्षा करूँगा कि नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने हेतु माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू जी को अधिकृत किया जाय।

(सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मेज थपथपाकर नगरपालिका संशोधन विधेयक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

याचिका दाखिल करने हेतु माननीया महापौर श्रीमती सीता साहू को अधिकृत किया।)

श्री विनय कुमार : माननीया अध्यक्ष महोदया, 2007 के बाद राज्य सरकार द्वारा जो भी संशोधन, संकल्प लाकर नगरपालिका की शक्ति को छीना गया है उसके लिए भी माननीय महापौर को लड़ना चाहिए।

श्रीमती पिंकी यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आज हम सभी पार्षद के साथ-साथ महापौर एवं उप महापौर के पर भी कतर दिए गए है। सभी पार्षद अपने अधिकार के लिए गुहार लगा रहें है। मैं 2007 से निगम बोर्ड की सदस्य हूँ और किस तरह सरकार बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 के द्वारा जो अधिकार नगरपालिका को दिया गया था। उसे समय समय पर छिनने का कार्य कर रही है।

श्री कैलाश प्र0 यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बिहार विधान मंडल में सरकार द्वारा जो बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2024 लाया गया है, वह नगरपालिकाओं के लिए काला कानून है। हम इस कानून के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करते है। अध्यक्ष महोदय, आज की बैठक के माध्यम से निगम क्षेत्र से निर्वाचित विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी के है, और मंत्री है, के द्वारा ही इस काला कानून पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा और हम सभी पार्षद एकजुट है और सरकार को उखाड़ फेकेंगे।

श्रीमती तरूणा राय : माननीया अध्यक्ष महोदया, इस काला कानून की हम भर्त्सना करते है और सरकार से अनुरोध करते है कि इसे वापस लिया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निंदा प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 72 :- (1) **सर्वसम्मति से निगम पर्षद, बिहार नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2024 को काला कानून बताते हुए इसके विरूद्ध निंदा का प्रस्ताव पारित करता है।**

(i) **सर्वसम्मति से बिहार नगरपालिका(संशोधन)विधेयक,2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दाखिल करने हेतु माननीया महापौर श्रीमती सीता साहू को अधिकृत किया जाता है।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

(हस्ताक्षर) महापौर पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सदन में उपस्थित उप-महापौर एवं सभी पार्षदों द्वारा विधेयक,2024 पर विशेष रूप से चर्चा की गयी है। अब कार्यसूची के अनुसार एजेंडा पर भी चर्चा किया जाय।

मद संख्या-03:- **पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में एकत्रित हो गये Metal/Non - Metel Scraps जिसमें मुख्य रूप से अकार्यरत एवं नहीं बनने योग्य वाहन तथा अंचल कार्यालय में अनुपयोगी पड़े मशीनरी/सामग्री शामिल है की नीलामी MSTC Limited के माध्यम से करने हेतु MoU करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- Metal/Non - Metel Scraps की नीलामी MSTC Limited के माध्यम से करने हेतु MoU करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं विभिन्न अंचलों में Metal/Non - Metel Scraps जमा है। जो अकार्य एवं अनुपयोगी है। MSTC Limited के माध्यम से निविदा करने का प्रस्ताव है। जिसके लिए MSTC Limited के बीच MoU किया जाना है। जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से प्राप्त कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री कैलाश प्र0 यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-73 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के विभिन्न अंचलों में एकत्रित हो गये Metal/Non - Metel Scraps जिसमें मुख्य रूप से अकार्यरत एवं नहीं बनने योग्य वाहन तथा अंचल कार्यालय में अनुपयोगी पड़े मशीनरी/सामग्री शामिल है, की नीलामी MSTC Limited के माध्यम से करने हेतु MoU करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या-04:- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित 5 सबमर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन का प्रगति प्रतिवेदन।**

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- प्रत्येक वार्ड में 05-05 सबमर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन का निर्णय पिछले वर्ष में हुआ है। एक वार्ड में बोरिंग के अधिष्ठापन में 1494,500 लाख रू0 व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार 75 वार्डो में 112,087,500 रू0 व्यय होंगे। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति देने हेतु निगम पर्षद के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित है।

श्री राजकुमार गुप्ता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री जीत कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-74 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के 75 वार्डों में 05-05 सबमर्सिबल बोरिंग के निर्माण पर होने वाले व्यय की राशि 112,087,500 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, इस योजना में व्यय 15वें वित्त आयोग(जलापूर्ति मद) की राशि से की जाएगी।**

मद संख्या 05:- **वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत खाता संख्या-149, प्लॉट संख्या-361, थाना संख्या-30, मोहल्ला- दशरथा बारहमसिया में तालाब निर्माण के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम स्पष्ट करें।

मु0न0अभियन्ता :- वार्ड संख्या 30 के अन्तर्गत बाइपास से सटे राजेन्द्र कृषि कॉलेज में तालाब निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पारित हुआ है। परन्तु कृषि विभाग एवं आर0सी0डी0 के द्वारा सड़क निर्माण के क्रम में अवरूद्ध हो गया है। महुली मीठापुर एलिवेटेड रोड के निर्माण होने के कारण उक्त तालाब को भर दिया गया है। माननीय पार्षद महोदया द्वारा इस समस्या के निवारण हेतु वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत खाता संख्या-149, थाना संख्या-30, मोहल्ला-दशरथा बारहमसिया में तालाब निर्माण हेतु अनुशंसा किया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, फुलवारी

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

शरीफ, पटना के पत्रांक-2096, दिनांक-14.06.2024 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि खेसरा संख्या-361 में कुल 53.30 डी0 है जो गैरमजरूआ मालिक के खाते की है। तदनलोक में कंकड़बाग प्रमंडल के अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया जिसकी प्राक्कलित राशि 1,88,94,601.00 रू0 है। उक्त के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित की जाती है।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दशरथा बारहमसिया में छठ पूजा के समय काफी लोग सूर्य देव को अर्घ्य देने आते है। यह प्रस्ताव जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में भी तालाब है, उसका भी सौन्दर्यीकरण किया जाय।

श्री ज्योति रंजन दास :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-75 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-26.06.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ साधारण बैठक के अतिरिक्त मद संख्या-15, प्रस्ताव संख्या-61 के द्वारा राजेन्द्र नगर, एग्रीकल्चर कॉलेज तालाब, वार्ड संख्या-30 के निर्माण/जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु वर्त्तमान में उक्त स्थल पर एलिवेडेट रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इस कारण उक्त प्रस्ताव को रद्द करते हुए उसके स्थान पर वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत खाता संख्या-149, प्लॉट संख्या-361, थाना संख्या-30, मोहल्ला- दशरथा बारहमसिया में तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य के प्रस्ताव की स्वीकृति निगम पर्षद द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना की राशि का भुगतान 15वें वित्त के SWM (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) मद से किया जाएगा।**

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या-06:- पटना नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सेवा निवृत, मृत, कार्यमुक्त एवं अनुपस्थित कर्मियों के स्थान पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराने के संबंध में।

अध्यक्ष :- आउटसोर्सिंग एजेंसी से मानव बल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदया, माननीया/माननीय पार्षदों द्वारा बराबर शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बहुत सारे सफाई कर्मी उनके वार्ड से सेवानिवृत हो गये हैं तथा कुछ कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु हो गयी है एवं कुछ कर्मचारी बिना सूचना के अपने कार्य से भागे हुए हैं। जिस वजह से सफाई कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा रिक्त पदों पर कर्मी को रखने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

स्थायी एवं दैनिक कर्मियों सूची निम्नवत है :-

स्थायी कर्मी						दैनिक कर्मी				
क्र0	अंचल का नाम	सेवानिवृत	मृत	अनुपस्थित	स्थानांतरण	मृत	कार्यमुक्त	अनुपस्थित	स्थानांतरण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना सिटी अंचल	8	0	0	0	0	0	18	0	26
2	अजीमाबाद अंचल	15	2	0	0	17	7	74	3	118
3	बाँकीपुर अंचल	5	9	0	0	8	2	33	1	58
4	कंकड़बाग अंचल	1	1	0	0	18	5	70	0	95
5	नूतन राजधानी अंचल	9	5	6	0	6	4	39	1	70
6	पाटलिपुत्र अंचल	11	4	0	1	4	56	20	3	99
7	प्रधान कार्यालय, मौर्यालोक परिसर सफाई	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	कुल	50	21	6	1	53	74	225	8	468

श्री विनय कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसकी स्वीकृति से सफाई कार्य में गति मिलेगी, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती सीमा वर्मा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 76 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं विभिन्न वार्डों में सेवा निवृत, मृत, कार्यमुक्त एवं अनुपस्थित कर्मियों के स्थान पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

स्थायी कर्मी						दैनिक कर्मी				
क्र0	अंचल का नाम	सेवानिवृत	मृत	अनुपस्थित	स्थानांतरण	मृत	कार्यमुक्त	अनुपस्थित	स्थानांतरण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना सिटी अंचल	8	0	0	0	0	0	18	0	26
2	अजीमाबाद अंचल	15	2	0	0	17	7	74	3	118

महापौर
पटना नगर निगम

3	बांकीपुर अंचल	5	9	0	0	8	2	33	1	58
4	कंकड़बाग अंचल	1	1	0	0	18	5	70	0	95
5	नूतन राजधानी अंचल	9	5	6	0	6	4	39	1	70
6	पाटलिपुत्र अंचल	11	4	0	1	4	36	20	3	99
7	प्रधान कार्यालय, मौर्यालोक परिसर सफाई	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	कुल	50	21	6	1	33	74	225	8	468

मद संख्या-07 :- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में एक नई श्रेणी "Institutional Bulk Solid Waste Generator" के सम्बन्ध में।**

अध्यक्ष :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में एक नई श्रेणी जोड़ने का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास समिति लिमिटेड (बुडको) द्वारा संचालित संप हाउस /ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट्स में अत्यधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न किया जाता है जिसे उठाने/प्रोसेस करने में पटना नगर निगम का संसाधन का उपयोग ज्यादा होता है। पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 में अत्यधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले संस्थानों यथा संप हाउस/ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट्स पर कचरा शुल्क अधिरोपण करने हेतु एक नए शुल्क श्रेणी की आवश्यकता है। पटना नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 के अध्याय-xi, अनुसूची-1 के डोर टू डोर सेवा के लिए कचरा शुल्क के तालिका के अंतिम क्रमांक के अनुसार अन्य, जो उल्लेखित नहीं है को स्थानीय स्थिति के आधार पर नगरपालिका निश्चित कर कचरा प्रबंधन शुल्क का निर्धारण किया जा सकता है। सशक्त स्थायी समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री कैलाश प्र0 यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव निगमहित एवं जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती संध्या यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-77 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में अत्यधिक ठोस कचरा निर्गत करने वाले संस्थानों जैसे- संप हाउस/ड्रेनेज पम्पिंग प्लांटस पर कचरा प्रबंधन शुल्क अधिरोपण हेतु एक नई श्रेणी "Institutiional Bulk Solid Waste Generator" बनाये जाने एवं इसका कचरा प्रबंधन शुल्क मो0 5000/-(पाँच हजार रूपये) प्रति माह के दर से निर्धारण करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-08 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न विभिन्न प्रकार के ई-वाहनों के लिए Battery Swapping Policy के तहत नई बैट्री के स्थान पर वाहनों में Swapping के आधार पर Battery को प्रतिस्थापित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- वाहनों में स्वैपिंग के आधार पर बैट्री को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में विभिन्न प्रकार के वाहन कार्यरत हैं। जिसका परिचालन एवं रख-रखाव निगम द्वारा किया जाता है। विदित हो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में वाहनों के परिचालन हेतु बैट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अत्यधिक परिचालन के कारण आए दिन बैट्री खराब होने की शिकायत मिल रही है। जिसके क्रय में निगम को अधिक आर्थिक लागत आती है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में Battery Swapping Policy को अपनाया गया है, जो निम्न प्रकार कार्य करता है :-

1. बैट्री स्वैपिंग पॉलिसी एक ऐसा तंत्र है, जिसके तहत चार्ज की गई बैट्री को चार्ज खत्म हो चुकी बैटरी से बदला जाता है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

2. इन बैटरियों को अलग से चार्ज करने की सुविधा प्रदान करता है और नगण्य डाउन टाईम के साथ वाहन को परिचालन मोड में रखता है।

3. इस बैटरियों में ही जी.पी.एस. अधिष्ठापित रहता है जिससे वाहन तथा बैटरी की सतत् निगरानी की जा सकेगी। साथ ही इसके कारण से सफाई कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

अतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न विभिन्न प्रकार के ई0-वाहनों के लिए Battery Swapping Policy के तहत नई बैटरी के स्थान पर वाहनों में Swapping के आधार पर बैटरी को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री विनय कुमार(वार्ड-54) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगम हित में है। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती किरण मेहता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-78 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न विभिन्न प्रकार के ई-वाहनों के लिए Battery Swapping Policy के तहत नई बैट्री के स्थान पर वाहनों में Swapping के आधार पर Battery को प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

म0सं0-09 :- **Supply, erection and commissioning of human electric crematorium at Nandgola Ghat with 5 year maintenance under PMC.**

अध्यक्ष :- प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- विगत कई बैठकों में विषयांकित मामलों का प्रस्ताव आता रहा है तथा उसकी स्वीकृति भी औपचारिक रूप से दी जाती रही है। नन्दगोला घाट के स्थानीय निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

रखते हुए उक्त घाट पर विद्युत शवदाह मशीन के अधिष्ठापन हेतु प्राक्कलित राशि 1,83,6600.00 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री मनोज कुमार(69) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नन्दगोला घाट पर विद्युत शवदाह मशीन स्थापित हो जाने से वहां के स्थानीय निवासियों को काफी सुविधा होगी। यह कार्य जनोपयोगी है। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्रीमती अंजली राय :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद के प्रस्ताव से सहमत हूँ। नन्दगोला घाट पर विद्युत शवदाह गृह मशीन अधिष्ठापित होने एवं विद्युत शवदाह गृह का निर्माण होने से स्थानीय लोगों की काफी मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव को जनहित में पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-79 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Supply, erection and commissioning of human electric crematorium at Nandgola Ghat with 5 year maintenance under PMC जिसकी प्राक्कलित राशि 1,83,60,600 रूपये है की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-10 **15वें वित्त आयोग के परिवेशीय वायु गुणवत्ता घटक अन्तर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि में से बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड को आवंटित राशि में से व्ययोपरान्त शेष राशि को Patna Urban Agglomeration (PUA) एवं RCD को आवंटित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नगर आयुक्त, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अध्यक्ष महोदया, 15वें वित्त आयोग परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु पटना नगर निगम को 204 करोड़ रूपये आवंटित किया गया था जिसमें से 40.8 करोड़ की राशि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरित किया गया था। आवंटित राशि में से बिहार राज्य

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा व्यय के बाद शेष बची राशि 19.49 करोड़ रूपये वापस कर दिया है।

NCAP के अन्तर्गत प्रदूषण बोर्ड को आवंटित राशि में से शेष अव्यवहृत राशि का व्यय परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए State Lavel Monitoring & implementation committee की पंचम बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास राशि 19.49 करोड़ रू0 को पथ निर्माण विभाग (RCD) एवं Patna Urban Agglomeration (PUA) के तहत 04 (चार) नगर परिषद- यथा (क) दानापुर निजामत, नगरपालिका (ख) फुलवारी शरीफ, नगरपालिका (ग) खगौल, नगरपालिका (घ) सम्पत चक, नगरपालिका द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त कर विमर्शोपरान्त राशि आवंटित किया जाना है। उक्त के आलोक में प्रस्ताव प्राप्त कर लिया गया है जिसकी सूची संलग्न है। उपरोक्त आवंटन के संबंध में सशक्त स्थायी समिति से स्वीकृति प्राप्त कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री सतीश कुमार :- अध्यक्ष महोदया, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अव्यवहृत शेष राशि पटना नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया है। उस राशि में से 04 (चार) नगर परिषद-(क) दानापुर निजामत, नगरपालिका (ख) फुलवारी शरीफ, नगरपालिका (ग) खगौल, नगरपालिका (घ) सम्पत चक, नगरपालिका के लिए 1-1 अदद् स्वीपिंग मशीन खरीदगी हेतु प्रति स्वीपिंग मशीन 1.30 करोड़ रूपये एवं फ्लैंक में पेभर लगाने के लिए आर0सी0डी0 को 10 करोड़ रू0 आवंटित किया जा सकता है।

श्रीमती सीता वर्मा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री ज्योति रंजन दास :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-80 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 15वें वित्त आयोग के परिवेशीय वायु गुणवत्ता घटक अन्तर्गत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि में से बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड को आवंटित राशि**

महापौर
पटना नगर निगम

में से व्ययोपरान्त शेष राशि को 04 (चार) नगर परिषद-(क) दानापुर निजामत, नगरपालिका (ख) फुलवारी शरीफ, नगरपालिका (ग) खगौल, नगरपालिका (घ) सम्पत चक, नगरपालिका के लिए 1-1 अदद् स्वीपिंग मशीन हेतु प्रति स्वीपिंग मशीन 1.30 करोड़ रू0 एवं आर0सी0डी0 को प्रमुख पथों पर (ब्लैक टॉप) पेभर लगाने हेतु 10 करोड़ रू0 देने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-11:- **पटना नगर निगम में 03 (तीन) वर्कशॉप बनाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पटना नगर निगम के वाहनों के रख-रखाव हेतु तीन वर्कशॉप बनाने का प्रस्ताव है।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु निगम स्वामित्व वाले विभिन्न प्रकार के वाहन कार्यरत हैं, जिसका परिचालन रख-रखाव एवं मरम्मति अंचल स्तर पर किया जा रहा था। वर्तमान कार्य प्रणाली में संशोधन करते हुए अंचल स्तर पर गठित वाहन कोषांग को अवक्रमित करते हुए वाहनों के रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य कार्यालय पत्रांक 7980, दिनांक 26.04.2024 के द्वारा मुख्यालय स्तर से किया जाना है। (सुलभ प्रसंग हेतु छायाप्रति संलग्न)

उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम के कुल 06 (छः) अंचलों में 02-02 अंचलों के लिए 01 (एक) दल का गठन भी किया गया है, जिसमें 01 (एक) वर्कशॉप एवं 03 (तीन) स्टोर के साथ संबद्ध किया गया, जहाँ कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त Store Keeper के लिए वर्कशॉप का निर्माण किया जाना है, जिसमें निम्न सामाग्रियों का भंडारण किया जायेगा :-

Store 01 :- स्पेयर पार्टस, टूल्स एवं अन्य संबंधित उपकरण सहित Store Kepper के बैठने की व्यवस्था

Store 02 :- वाहनों के लिए सभी प्रकार के ऑयल (Oil) की व्यवस्था

Store 03 :- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स इत्यादि

पटना नगर निगम के कुल 06 (छः) अंचलों में 02-02 अंचलों के लिए 03 (तीन) वर्कशॉप यथा बकरी बाजार (नूतन

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

राजधानी अंचल तथा पाटलीपुत्र अंचल हेतु), कंकड़बाग अंचल (कंकड़बाग अंचल तथा बाँकीपुर अंचल हेतु) तथा पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल (पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल हेतु) निर्धारित किया गया है। यह वर्कशॉप Waste To Workshop Theory (कबाड़ से वर्कशॉप का निर्माण) पर आधारित है, जिसमें से कंकड़बाग में शेड का निर्माण हो चुका है। यहाँ स्टोर रूम एवं ऑफिस बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त शेष 02 (दो) अन्य जगहों पर वर्कशॉप, स्टोर एवं ऑफिस बनाया जाना है, जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से प्राप्त कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

श्री जीत कुमार :- अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव निगम एवं जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री कंचन कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती किरण मेहता :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-81 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया पटना नगर निगम के कुल 06 (छः) अंचलों में 02-02 अंचलों के लिए 03 (तीन) वर्कशाप बकरी बाजार (नूतन राजधानी अंचल एवं पाटलीपुत्र अंचल हेतु) कंकड़बाग अंचल(कंकड़बाग अंचल एवं बाँकीपुर अंचल हेतु) तथा अजीमाबाद (पटना सिटी अंचल तथा अजीमाबाद अंचल हेतु) के निर्माण के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह वर्कशाप **Waste to workshop theory** पर आधारित होगी।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

मद संख्या-12:- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में एक अदद **Selfie Point** के अधिष्ठापन की स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- प्रत्येक वार्ड में एक अदद Selfie Point के अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- वर्ष 2023 में कार्तिक छठ महापर्व के अवसर पर विभिन्न घाटों में Selfie Point लगाया गया था, जिसकी नागरिकों के द्वारा सराहना की गयी थी। इसी क्रम में प्रत्येक वार्ड में मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप एक अदद् Selfie Point को अधिष्ठापन की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से पारित कराकर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री सतीश कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है कि जिस कचरा प्वाईंट से कचरा फ्री कर दिया गया है। उस जगह पर Selfie Point का अधिष्ठापन किया जाय।

श्री अमर कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित एवं जनहित में है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-82 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में एक अदद् Selfie Point के अधिष्ठापन की स्वीकृति के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-13:- **सम्पत्ति कर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संबंधित आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निष्पादन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- सम्पत्ति कर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संबंधित आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निष्पादन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में संशोधन हेतु नागरिकों से आवेदन प्राप्त हो रहे है। प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु कर-दाताओं के द्वारा अंचल एवं मुख्यालय का दौरा करना पड़ रहा है। जिससे आम कर-दाता परेशान है। जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री ज्योति रंजन दास :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार(69) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-83 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति कर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संबंधित आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निष्पादन करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-14:- **उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया में संशोधन हेतु विमर्श के संबंध में।**

अध्यक्ष : उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- **दिनांक-19.10.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की सातवीं साधारण बैठक में सर्वसम्मति से पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सम्पत्ति का उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त मानंक प्रक्रिया के आधार पर ऑनलाइन म्युटेशन पोर्टल विकसित कर पोर्टल के माध्यम से म्युटेशन आवेदन प्राप्त और निष्पादित किया जा रहा है।** उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया में संशोधन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

''**सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्परिवर्तन /नामांतरण की वर्त्तमान मानक प्रक्रिया में संशोधन करते हुए आवेदक द्वारा 1000/-(एक हजार) रू0 के स्टाम्प पेपर पर आपसी बटवारा का प्रमाण-पत्र तथा कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी के यहाँ से निर्गत शपथ पत्र को भी शामिल करते हुए उत्परिवर्तन /नामांतरण करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित की जाती है।**''

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नामान्तरण की जो प्रक्रिया बनी है, कार्यपालक पदाधिकारियों के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। उनका कहना है कि विक्रेता से लिखवाकर लायें कि नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सुझाव है कि विक्रेता जमीन बेच कर चला गया। हम उसे कहाँ

महापौर
पटना नगर निगम

दुंढ़े। ज्यादा से ज्यादा क्रेता से वे दण्डाधिकारी के द्वारा शपथ पत्र मांग सकते हैं। दूसरी बात उत्तराधिकारी के आधार पर नामान्तरण में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वंशावली की मांग करते हैं। इसे नागरिकों में काफी रोष व्यक्त किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि नामान्तरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाय।

साथ ही आवेदक द्वारा गलत सूचना देने पर उसपर 50 हजार रू0 का जुर्माना भी लगाया जाय। स्थायी समिति का निर्णय सही है। 1000/- रू0 के स्टांप पेपर पर आपसी बटवारा एवं इससे संबंधित कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं नोटरी से निर्गत शपथ पत्र की मान्यता से उत्परिवर्तन /नामांतरण में नागरिकों को सुविधा होगी।

श्री आशीष कु० शंकर:- माननीया अध्यक्ष महोदया, उत्परिवर्तन /नामांतरण की मानक प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है, उससे आवेदकों को सुविधा होगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती प्रभा देवी(वार्ड-०३) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। प्रस्ताव जनहित एवं निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-84 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्परिवर्तन /नामांतरण की वर्त्तमान मानक प्रक्रिया में संशोधन करते हुए आवेदक द्वारा 1000/-(एक हजार) रू0 के स्टाम्प पर आपसी बटवारा संबंधी दस्तावेज को कार्यपालक दण्डाधिकारी के यहाँ से निर्गत शपथ पत्र को भी शामिल करते हुए उत्परिवर्तन /नामांतरण करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-15:- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत डीजल चालित वाहनों को CNG में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृत राशि 10 करोड़ रू0 का उपयोग IGIMS अन्तर्गत Flyover के नीचे एवं अन्य जगहों पर Plantation कार्य में किये जाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **IGIMS अन्तर्गत Flyover के नीचे** Plantation कार्य किये जाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत डीजल चालित वाहनों को CNG में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृत राशि 10 करोड़ रू0 का उपयोग IGIMS अन्तर्गत Flyover के नीचे, बापू टावर, गर्दनीबाग, रोड संख्या-15 एवं अन्य जगहों पर Plantation कार्य

महापौर
पटना नगर निगम

करने का प्रस्ताव है। जिसपर चर्चा के उपरांत सशक्त स्थायी समिति द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित कर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

'' **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत डीजल चालित वाहनों को CNG में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृत राशि 10 करोड़ रू0 में से (क) 09 करोड़ रूपये का का उपयोग नेहरू पथ स्थित Flyover के नीचे एवं अन्य जगहों पर Plantation तथा (ख) निगम के स्तर से एक करोड़ रू0 का उपयोग सभी वार्डों में पौधा-रोपण कार्य हेतु किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित की जाती है।''**

श्री अमर कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगम एवं जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती दीपा रानी खान :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इसी तरह अन्य पुलों के नीचे भी Plantation का कार्य किया जाना चाहिए। जिससे अतिक्रमण की समस्या भी दूर होगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती प्रभा देवी(वार्ड-3) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव अच्छा है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-85 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत डीजल चालित वाहनों को CNG में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृत राशि 10 करोड़ रू0 में से (क) 09 करोड़ रूपये का का उपयोग नेहरू पथ स्थित Flyover के नीचे एवं अन्य जगहों पर Plantation तथा (ख) निगम के स्तर से एक करोड़ रू0 का उपयोग सभी वार्डों में पौधा-रोपण कार्य हेतु किये जाने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-16:- पटना नगर निगम क्षेत्र में वार्डों को **Open Manhole free (OMF)** कराने के संबंध में।

अध्यक्ष :- Open Manhole free करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र में सभी मेनहोल की अद्यतन स्थिति की जाँच करने हेतु निगम के पत्रांक-9187, दिनांक-25.05.2024 के आलोक में नोडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था, जिसके आलोक में सभी नोडल ने अपने-अपने वार्ड का भौतिक निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त मेनहोलों को चिन्हित कर जियो-टैग फोटोग्राफ के साथ सूची समर्पित किया, जिसे संबंधित माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा भी सत्यापित करा लिया गया है। तदनुसार सभी वार्ड नोडल पदाधिकारियों से प्राप्त सर्वे प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित प्रमंडल के अभियंताओं के द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि के साथ वार्डवार विवरणी निम्न है :-

Patna Nagar Nigam

Open Manhole Survey Report 2024

Patliputra		NutanRajdhani		Kankarbagh		Bankipur		Azimabad		PatnaCity	
Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount
1	14,84,894	3	4,78,950	29	5,10,000	36	12,71,167	52	2,40,321	62	3,31,869
2	7,84,321		13,18,050		12,23,200	38	5,32,900	53	86,041	66	6,29,673
5	5,18,088	4	4,93,200	30	11,20,101	39	5,02,400	54	12,20,327	67	4,52,561
6	8,69,423	9	2,75,800		8,79,017	40	6,89,443	56	9,36,701	68	6,13,595
7	12,64,650	10	13,05,450		14,31,964	41	7,43,200	57	4,12,820	69	64,386
8	7,64,424	11	9,23,350	31	13,58,102	42	11,35,850	58	3,30,135	70	3,33,478
20	6,14,600	12	5,61,800		13,89,876	43	10,76,607	59	2,34,615	71	5,75,791
22	5,96,074	13	7,91,100		13,87,223		5,06,802	60	5,69,307	72	2,10,828
22A	8,87,412	14	2,38,300	32	14,56,609	47	10,27,182	61	4,00,816		
22B	7,86,700	15	7,07,900		8,01,471		8,65,432	63	-		
22C	5,57,199	16	4,18,900	33	12,15,100	48	13,82,410	64	1,40,715		
23	7,02,277	17	4,74,900	34	10,01,100	49	1,32,100	65	1,78,638		
24	2,55,510	18	4,29,000	35	11,95,200	50	9,10,480				
25	3,70,077	19	4,77,600	44	5,25,700	51	14,49,000				
26	7,82,289	21	3,66,800		17,73,400						
27	2,06,771	28	2,89,400	45	14,62,600						
		37	9,34,361		3,48,800						
					12,62,500						
					14,56,700						
				46	8,25,916						
					9,84,999						
				55	10,33,700						

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से पारित कराकर निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्री मनोज कुमार(69) :- अध्यक्ष महोदया, पटना सिटी अंचल क्षेत्र में मेनहोल की संख्या अधिक नहीं है लेकिन वहाँ स्लैब लगाने की संख्या काफी है। यह प्रस्ताव निगम हित में है इसे पारित किया जाए।

श्री कैलाश प्र० यादव:- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाए।

प्रस्ताव संख्या-86 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में वार्डों में Open Manhole free (OMF) कराने हेतु सभी वार्ड के नोडल पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षणोपरान्त तैयार क्षतिग्रस्त मेनहाल की सूची माननीया वार्ड पार्षदों द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त संबंधित प्रमंडल के अभियंताओं द्वारा वार्डवार तैयार प्राक्कलन जो निम्नवत् है :-**

Patna Nagar Nigam

Open Manhole Survey Report 2024

Patliputra		NutanRajdhani		Kankarbagh		Bankipur		Azimabad		PatnaCity	
Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount	Ward No	Estimate Amount
1	10,34,894	3	4,78,950	29	5,10,000	36	12,71,167	52	3,49,321	62	5,51,869
2	7,81,320		13,18,050		12,23,210	38	5,52,900	53	86,041	66	6,29,675
5	5,18,088	4	4,93,200	30	11,30,181	39	5,02,400	54	12,20,327	67	4,52,161
6	8,69,423	9	2,73,800		8,79,017	40	6,89,443	56	9,36,703	68	6,13,595
7	12,64,650	10	13,05,480		14,31,964	41	7,43,200	57	4,12,800	69	64,386
8	7,64,424	11	9,23,350	31	13,56,182	42	11,95,850	58	3,30,125	70	5,33,478
20	6,04,600	12	3,61,800		13,89,878	43	10,70,607	59	2,34,615	71	5,75,791
22	5,96,074	13	7,91,100		13,87,223		5,06,802	60	5,69,307	72	2,10,828
22A	8,87,412	14	2,38,300	32	14,59,609	47	10,37,182	61	4,00,808		
22B	7,86,700	15	2,07,900		8,01,471		8,65,432	63	-		
22C	3,57,199	16	4,18,900	33	12,15,000	48	13,82,410	64	3,40,715		
23	7,02,271	17	4,74,900	34	10,01,100	49	1,32,100	65	3,75,638		
24	2,55,510	18	4,29,000	35	11,95,200	50	9,10,480				
25	3,20,077	19	4,77,600	44	5,25,700	51	14,49,000				
[illegible]	7,82,284	21	3,66,806		13,71,400						
[illegible]	[illegible]6,771	28	2,86,000	45	14,62,000						
		37	9,54,561		3,48,800						
					12,62,500						
					14,38,700						

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

40	8,23,916
	9,84,999
55	10,33,740

की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-17:- **रामाचक बैरिया में Legacy Fresh Waste की अवशेष मात्रा का Bio-Mining करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- रामाचक बैरिया में Legacy Fresh Waste की अवशेष मात्रा का Bio-Mining का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- रामाचक बैरिया डम्पिंग यार्ड में पटना नगर निगम के अलावे सम्पतचक, दानापुर, फुलवारी एवं खगौल ULB का भी कचरा डम्प किया जाता है। पूर्व में डम्प Legacy Waste (लगभग 10 घन मी०) के Bio-Mining हेतु तीन एजेंसियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 25% कचरा का निस्तारण बाकी है। तीन एजेंसियों यथा 1. मे० सी.डी. ट्रान्सपोर्ट 2. मे० Pathya एवं 3. मे० NACOF Legacy Waste के Bio-Mining कार्य में संलग्न है। इस कार्य के अलावे रामाचक बैरिया में ही अन्यत्र जगह पर Fresh Waste का संग्रहण किया जा रहा है। इस डम्पिंग यार्ड में Legacy/Fresh Waste के कचड़े के अवशेष मात्रा का Bio- Mining के लिए मे० इकोस्ट्रान इन्फ्रा प्रा०लि० के साथ भी एकरारनामा किया गया है। रामाचक बैरिया यार्ड में तत्काल अन्यत्र स्थल पर कचरा संग्रहण हेतु व्यवस्था बनाई जा रही है। तदनुसार संग्रहित Legacy/Fresh Waste की मात्रा चयनित सर्वेयर मे० ड्रा सर्वे एजेंसी से मूल्यांकित कर एजेंसी/एजेंसियों को Bio-Mining का निदेश देने हेतु सशक्त स्थायी समिति से निर्णय के पश्चात निगम पर्षद को अनुशंसित किया गया है।

श्रीमती सीमा वर्मा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, रामाचक बैरिया में कचरे का अम्बार लगा हुआ है एवं आस-पास के ग्रामीणों को गंदगी/ दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। बॉयोमाइनिंग हो जाने पर दुर्गंध की समस्या दूर होगी। यह जनहित की समस्या है। इसे पारित किया जाय।

श्री विनय कुमार(54) :- अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-87 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामाचक बैरिया में Legacy Fresh Waste की अवशेष मात्रा का Bio-Mining करने के प्रस्ताव को निगम पर्षद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

महापौर
पटना नगर निगम

श्री ज्योति रंजन दास :- माननीया अध्यक्ष महोदया, संशोधन विधेयक,2024 जो बिहार विधान मंडल के द्वारा पास किया गया है। वह हम सभी पार्षदों के अधिकार पर चोट पहुँचाने का कार्य किया है। सरकार की मंशा है कि पार्षद, प्रधान सचिव, माननीय मंत्री एवं नगर आयुक्त के समक्ष अपनी मांग को रखने के लिए बाध्य हों। मेरा प्रस्ताव है कि इस काले कानून के विरुद्ध हम सभी एक होकर लड़ाई लड़ें।

श्रीमती नीलम कुमारी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह बैठक काफी दिनों के बाद हो रहा है। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 द्वारा पार्षदों के हक को छिना गया है। उसका हम सभी महिला विरोध करते हैं। सरकार नारी शक्ति को मजबूत बनाने का दावा करती है। लेकिन निगम में अधिकांश पार्षद महिला ही है और उनके अधिकारों पर चोट किया गया है। मैं इस विधेयक की निंदा करती हूँ।

श्री रवि प्रकाश : माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 का विरोध करता हूँ। और साथ ही सभी माननीय पार्षदों से अनुरोध है कि वे भी इस काले कानून का विरोध करें।

अध्यक्ष महोदया, मेरा वार्ड बहुत बड़ा है। इसके साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्र वाला वार्ड है। जिसमें किसान कॉलनी फेज-1, फेज-2, ब्रह्मपुर- जैसे नये आबादी वाला क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में नाला, सड़क एवं बिजली का अभाव है। मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में जन सुविधा बहाल करें।

श्रीमती श्वेता रंजन : माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 के द्वारा निर्गत कानून का विरोध करती हूँ। यह काला कानुन है।

मेरे वार्ड में लाइट समस्या है। अंधेरे में छोटे-छोटे बच्चे, वृद्ध एवं लाचार व्यक्तियों के आने-जाने में समस्या होती है। कृपया खराब लाईट की मरम्मति करायी जाय।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती अबदा कुरैशी :-	माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 के विरूद्ध आये निंदा प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, 50 लाईट आपूर्ति करने की बात हुई थी। लेकिन मात्र 20 लाईट मिला है। जो लाईट खराब है उसकी मरम्मति करायी जाय।
श्रीमती तरूणा राय :-	माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 का विरोध करती हूँ। और सभी पार्षदों से अनुरोध है कि आप सभी भी इसका विरोध करें। मेरा सुझाव है कि पार्षदों के एक डेलिगेट के साथ मंत्री, मुख्यमंत्री से मिला जाय। माननीया अध्यक्ष महोदया, 20 लाईट सभी वार्डों को मिला है पर मेरे वार्ड में अभी तक नहीं आया है।
नगर आयुक्त :-	कार्यपालक अभियंता, विद्युत वार्ड संख्या-52, 60, 63, 65 एवं 67 के माननीय पार्षदों से मिलकर लाईट की समस्या को दूर करें।
श्री जीत कुमार :-	माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्र के अनिसाबाद से लेकर सिपारा तक एक भी लाईट सड़क पर नहीं है। और न ही पोल गाड़ा गया है। जिसके कारण सड़क अंधेरा में डुबा रहता है। बेऊर जेल रोड वाले मोड़ पर लाईट की व्यवस्था नहीं है। जिससे किसी प्रकार के दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है।
श्री विनय कुमार(वार्ड-54) :-	माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 का विरोध करता हूँ। लाईट के रख-रखाव वाले टीम को वार्ड में 02 बार जाना चाहिए। एक दिन में वह 15 से 20 लाईट ही बनाता है। लाईट का तार कॉपर का होना चाहिए।
श्रीमती उषा देवी :-	माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 का विरोध करती हूँ। अध्यक्ष

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

महोदया, मेरे वार्ड में राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिल रहा है।

नगर आयुक्त :- राशन वितरण के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी से बात करेंगे।

श्रीमती अनिता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं भी बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2024 का विरोध करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में बोरिंग नहीं हुआ है। कब तक होगा?

श्रीमती दीपा रानी खान :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं भी बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 का विरोध करती हूँ। माननीया अध्यक्ष महोदया, 05-05 सबर्सिबल बोरिंग की राशि प्रमंडल में नहीं गया है।

नगर आयुक्त :- बोरिंग के लिए प्रशासनिक स्वीकृति आज बोर्ड में हो रही है। जल्द ही सभी प्रमंडल को राशि भेज दिया जाएगा।

श्रीमती छठिया देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 का विरोध करती हूँ। माननीया अध्यक्ष महोदया, हमारे वार्ड में आवास के लिए कुछ नागरिकों को आधा पैसा मिला है और शेष अभी तक उन्हें नहीं मिला है। जिसके कारण वह छत की ढलाई नहीं करा पा रहें है और उनका आवास आधा-अधूरा है।

नगर आयुक्त :- अपर नगर आयुक्त वार्ड संख्या-01 से 72 तक सभी माननीय पार्षद से सम्पर्क कर आवास के संबंध में जाँच कर कार्रवाई करें।

श्रीमती संध्या देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा वार्ड निगम का अंतिम छोर है, लाईट के कमी के कारण क्षेत्र में काफी अंधेरा रहता है।

श्रीमती रानी कुमारी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक,2024 का विरोध करती हूँ। नगर आयुक्त साहब को मैं बधाई देती हूँ कि पाटलिपुत्र अंचल जो गंगा

महापौर
पटना नगर निगम

घाट किनारे कलेक्ट्रियट में चला गया था। अब वह मेरे वार्ड में आ रहा है। इसे जल्द से जल्द चालू कराया जाय।

नगर आयुक्त :- यदि नामांतरण हेतु आवेदन निबंधित बिक्री पत्र एवं राजस्व रसीद के आधार पर दाखिल किया गया है तो सही है। यदि कोई उत्तराधिकारी है और वो नामांतरण हेतु आवेदन करता है तो उसे वंशावली (कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत) देना होगा।

माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि निगम क्षेत्र में 4000 अपार्टमेंट है। कैम्प लगाकर सर्वे का कार्य किया जायेगा। जिससे निगम के राजस्व में वृद्धि होगी।

श्रीमती पिंकी यादव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र में कई छोटे-छोटे मकान है उसी मकान में दुकान भी चला रहें हैं। निगम द्वारा गृह कर के साथ-साथ दुकान से भी कचरा शुल्क वसूल रहें हैं। जो नागरिकों पर बोझ है। इसकी समीक्षा की जाय।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम देश के अन्य निगमों से कम टैक्स ले रहा है।

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी माननीया/माननीय सदस्यों, नगर आयुक्त एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की जाती है।

16/9/24

महापौर
पटना नगर निगम

(सीता साहू)
अध्यक्ष,
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ सभी माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.9.24

नगर सचिव,
पटना नगर निगम,पटना।

21/9/24